

कमांक.4/शिका./सेल.3/एस.सी.एन./2019/2316

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

प्रति,

डॉ.आनन्द गुप्ता,
चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर,
जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।

विषय:- डॉ.आनन्द गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ.आनन्द गुप्ता, जिला सिंगरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर में चिकित्सा के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पत्र कमांक./आई.डी.एस.पी./19/254/दिनांक 06.05.2019 (प्रति संलग्न) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली को आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामांकित मेडिकल आफिसर की सूची जिसमें आपका नाम सरल कमांक.17 पर अंकित है, संलग्न करके प्रेषित किया जिसमें निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 एवं 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है जिसमें आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे।

यह कि आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु उक्त पत्र दिनांक 6.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित होकर दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि व्यर्थ हुई तथा आपने संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

४१३१७

(नीतेश व्यास)

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

पृ.कमांक.4/शिका./सेल. 3/एस.सी.एन./2019/2317
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम.अरेरा हिल्स, भोपाल, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को टीप दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.आनन्द गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवसर जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

४१३१७

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश

Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019
मेडिकल ऑफिसर

S.No.	District	Medical Officer Name	Posting place
1	बैतूल	डॉ. आदित्य बघेल	सामु. स्वा. केन्द्र, घोडाडोंगरी, बैतूल
2	छिण्डीरी	डॉ. सुरेश मरावी	जिला अस्पताल, छिण्डीरी
3	इंदौर	डॉ. नवीन चंद्रवंशी	विकासखंड- देपालपुर, इंदौर
4	कटनी	डॉ. राजेश केवट	बी.एम.ओ. उमरीयापन, कटनी
5	मंदसौर	डॉ. दिनेश शर्मा	(एम.ओ.), ब्लाक-धुन्धहरका
6	पन्ना	डॉ. अजय चौधरी	चि.अधि. प्राथ.स्वा.केन्द्र, सलेहा, पन्ना
7	रतलाम	डॉ. पिपूष मगरिया	मेडिकल ऑफिसर रावटी, बाजना, रतलाम
8	सतना	डॉ. तरुण कान्त त्रिपाठी	सामु. स्वा. केन्द्र, मझगावां, सतना
9	सीधी	डॉ.0 अमित सिंह	पीएचसी सुपेला (सीएचसी सिहावल), सीधी
10	धार	डॉ. महेन्द्रपाल सिंह डाबर	सामु. स्वा. केन्द्र, धामनोद, धार
11	छिन्दवाड़ा	डॉ. खेमकरण साहू	ब्लॉक - जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा
12	शाजापुर	डॉ. रविन्द्र गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल शुजालपुर, शाजापुर
13	झाबुआ	डॉ. मनीष सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी, प्रा. स्वा. केन्द्र बामानिया, झाबुआ
14	अनूपपुर	डॉ. चिनमय पटेल	चिकित्सा अधिकारी, कोतमा
15	सिवनी	डॉ. राहुल ठाकुर	प्रा.स्वा.केन्द्र, गवारी
16	देवास	डॉ. जीवन यादव	प्रा.स्वा.केन्द्र, नेमावर
✓17	सिंगरौली	डॉ. आनंद गुप्ता	सामु. स्वा. केन्द्र, देवसर
18	सागर	डॉ. रोहित पंत	पी.एच.सी. बांदरी विका. मॉलथौन
19	हरदा	डॉ. कमलेश गोड़	
20	आगर	डॉ. बृजेंद्र पाल सिंह परिहार	

क्रमांक.4/शिका./सेल.3/2019/2314
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

डॉ.के.सी.मेश्राम,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला सिवनी, मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:- डॉ.के.सी.मेश्राम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ.के.सी.मेश्राम, जिला सिवनी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक./आई.डी.एस.पी./19/193-244 दिनांक 04.05.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस.पी.के अंतर्गत Integrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 21.05.2019 एवं 22.05.2019 को आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे आप लेपटाप लेकर अनिवार्यतः उपस्थित हो।

यह कि आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु पत्र दिनांक 4.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 21.05.2019 से 22.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित पाये गये तथा आपके दो दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि भी विफल होने के साथ आपने जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ?

यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

नीतेश व्यास
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.3/2019/2315⁻²⁻
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम.अरेरा हिल्स, भोपाल, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को टीप दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस डॉ.मेश्राम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावे तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।
8. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला सिवनी, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

8/3/19
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



भोपाल, दिनांक 03.05.2019

क्र./आई.डी.एस.पी./19/193-244

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सिवनी म.प्र.

विषय:- आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 21.05.2019 से 22.05.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 21.05.2019 से 22.05.2019 आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिवसों में उपस्थित होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में लेपटाप लेकर अनिवार्य उपस्थित हो एवं अपने प्रतिनिधि/अन्य सहकर्मी साथ में न लाए। प्रशिक्षण में ठहरने की व्यवस्था आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में की गई है। प्रशिक्षण का TA/DA जिला आई.डी.एस.पी. द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि :- 10:00 am से 05:30 pm

3/5
(नीतेश व्यास)

स्वास्थ्य आयुक्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 04-05-2019

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/245-251

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल, म.प्र.।
4. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.
5. अतिरिक्त संचालक, ट्रेनिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
6. सह प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, म.प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

कमांक.4/शिका./सेल.3/एस.सी.एन/2019/2312

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

प्रति,

डॉ.एस.एस.गुप्ता,
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:- डॉ.एस.एस.गुप्ता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ.एस.एस.गुप्ता, जिला राजगढ़ में मई 2019 की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। वर्तमान में आप सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ में अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पत्र कमांक./आई.डी.एस.पी./19/193-244 दिनांक 04.05.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस.पी.के अंतर्गत Integrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 21.05.2019 एवं 22.05.2019 को आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे आप लेपटाप लेकर अनिवार्यतः उपस्थित हो।

यह कि आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु पत्र दिनांक 4.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 21.05.2019 एवं 22.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित पाये गये तथा आपके दो दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि भी विफल होने के साथ आपने जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ?

यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

8/8/19
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

पृ.कमाक:-4/शिका/सेल.3/SCN/ 2019/ 2313
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल,दिनांक 3/8/2019

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र.स्थानीय कार्यालय की ओर विषयांतर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक,एन.एच.एम, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक आई.डी.एस.पी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर विषयांतर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को टीप दिनांक 27.5.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस डॉ.गुप्ता को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावे तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे।
8. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला राजगढ़ म0प्र0।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी कारण बताओ नोटिस विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

8/3/19

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश.



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



क्र./आई.डी.एस.पी./19/193-244

भोपाल, दिनांक 04-05-2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रायसेन म.प्र.

विषय:- आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 21.05.2019 से 22.05.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 21.05.2019 से 22.05.2019 आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिवसों में उपस्थित होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में लेपटाप लेकर अनिवार्य उपस्थित हो एवं अपने प्रतिनिधि/अन्य सहकर्मी साथ में न लाए। प्रशिक्षण में उठरने की व्यवस्था आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में की गई है। प्रशिक्षण का TA/DA जिला आई.डी.एस.पी. द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि :- 10:00 am से 05:30 pm

8/3/5

(नीतेश व्यास)

स्वास्थ्य आयुक्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 04-05-2019

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/245-251

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल, म.प्र.।
4. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.
5. अतिरिक्त संचालक, ट्रेनिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
6. सह प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, म.प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

क्रमांक.4/शिका./सेल.3/एस.सी.एन./2019/2306

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

प्रति,

डॉ.राजेश केवट,
चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर,
उमरियापन, जिला कटनी,
मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:- डॉ.राजेश केवट, चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर उमरियापन जिला कटनी, के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ. राजेश केवट, जिला कटनी के उमरियापन में चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक./आई.डी.एस.पी./19/254 दिनांक 06.05.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी को आई.डी.एस.पी.कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामांकित मेडिकल आफिसर की सूची जिसमें आपका नाम सरल क्रमांक.4 पर अंकित है संलग्न करके प्रेषित किया जिसमें निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस.पी.के अंतर्गत Integrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 एवं 24.05.2019 को आयोजित किया जा रहा है जिसमें आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे।

यह कि आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु उक्त पत्र दिनांक 6.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित होकर दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि व्यर्थ हुई तथा आपने संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें ?

यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

8/3/19

(नीतेश व्यास)

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

पृ. क्रमांक. 4 / शिका. / सेल. 3 / एस. सी. एन. / 2019 / 2307
प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, एन. एच. एम. अरेरा हिल्स, भोपाल, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक, आई. डी. एस. पी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को अंकित टीप दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त / गोपनीय / लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ. राजेश केवट, चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर उमरियापन जिला कटनी को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी, मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला कटनी, मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला कटनी, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम. आई. एस. सेल. स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

8/3/19

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



क्र./आई.डी.एस.पी./19/254

भोपाल, दिनांक 06-05-2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला— आगरा, अनूपपुर, बैतूल, छिदवाड़ा, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, इंदौर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, पन्ना, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, सीधी, सिंगरौली मध्यप्रदेश.


विषय:- आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिवसों में उपस्थित होंगे।

अतः आप अपने जिले से उक्त प्रशिक्षण के लिए नामांकित मेडिकल ऑफिसर को लेफ्टाप लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। प्रशिक्षण में ठहरने की व्यवस्था आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में की गई है। प्रशिक्षण का TA/DA जिला आई.डी.एस.पी. द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि :- 10:00 am से 05:30 pm

संलग्न :- नामांकित मेडिकल ऑफिसर की जानकारी।


(डॉ. बी. एन. चौहान)
संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 06-05-2019

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
3. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.
4. अतिरिक्त संचालक, ट्रेनिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
5. सह प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, म.प्र.।

संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019
मेडिकल ऑफिसर

S.No.	District	Medical Officer Name	Posting place
1	बैतुल	डॉ. आदित्य बघेल	सामु. स्वा. केन्द्र, घोडाडोंगरी, बैतुल
2	छिण्डीरी	डॉ. सुरेश मरावी	जिला अस्पताल, छिण्डीरी
3	इंदौर	डॉ. नवीन चंद्रवंशी	विकासखंड- देपालपुर, इंदौर
4	कटनी	डॉ. राजेश केवट	बी.एम.ओ. उमरीयापन, कटनी
5	मंदसौर	डॉ. दिनेश शर्मा	(एम.ओ.), ब्लाक-धुन्धहरका
6	पन्ना	डॉ. अजय चौधरी	चि.अधि. प्राथम.स्वा.केन्द्र, सलेहा, पन्ना
7	रतलाम	डॉ. पियूष मगरिया	मेडिकल ऑफिसर रावटी, बाजना, रतलाम
8	सतना	डॉ. तरुण कान्त त्रिपाठी	सामु. स्वा. केन्द्र, मझगावां, सतना
9	सीधी	डॉ.0 अमित सिंह	पीएचसी सुपेला (सीएचसी सिहावल), सीधी
10	धार	डॉ. महेन्द्रपाल सिंह डाबर	सामु. स्वा. केन्द्र, धामनोद, धार
11	छिन्दवाड़ा	डॉ. खेमकरण साहू	ब्लॉक - जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा
12	शाजापुर	डॉ. रविन्द्र गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, शुजालपुर, शाजापुर
13	झाबुआ	डॉ. मनीष सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी, प्रा. स्वा. केन्द्र बामनिया, झाबुआ
14	अनूपपुर	डॉ. चिनमय पटेल	चिकित्सा अधिकारी, कोतमा
15	सिवनी	डॉ. राहुल ठाकुर	प्रा.स्वा.केन्द्र, गवारी
16	देवास	डॉ. जीवन यादव	प्रा.स्वा.केन्द्र, नेमावर
17	सिंगरौली	डॉ. आनंद गुप्ता	सामु. स्वा. केन्द्र, देवसर
18	सागर	डॉ. रोहित पंत	पी.एच.सी. बांदरी विकास, मॉलथौन
19	हरदा	डॉ. कमलेश गोड	
20	आगर	डॉ. बृजेंद्र पाल सिंह परिहार	

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

कमांक.4/शिका./सेल.3/2019/ 2304
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

डॉ.एस.के.निगम,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला कटनी, मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:- डॉ.एस.के.निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ.एस.के.निगम, जिला कटनी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पत्र कमांक./आई.डी.एस.पी./19/193-244 दिनांक 04.05.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस.पी.के अंतर्गत Integrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 21.05.2019 एवं 22.05.2019 को आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे आप लेपटाप लेकर अनिवार्यतः उपस्थित हो।

यह कि आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु पत्र दिनांक 4.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 21.05.2019 एवं 22.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित पाये गये तथा आपके दो दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि भी विफल होने के साथ आपने जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावे ?

यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

8/3/19
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिका./सेल.3/2019/ 2305
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

भोपाल, दिनांक 3/8/2019

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम.अरेरा हिल्स, भोपाल, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को टीप दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी डॉ.एस.के.निगम को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला सिवनी, मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



क्र./आई.डी.एस.पी./19/193-244

भोपाल, दिनांक 04-05-2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला बलरामपुर म.प्र.

विषय:- आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 21.05.2019 से 22.05.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 21.05.2019 से 22.05.2019 आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिवसों में उपस्थित होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में लेपटाप लेकर अनिवार्य उपस्थित हो एवं अपने प्रतिनिधि/अन्य सहकर्मी साथ में न लाए। प्रशिक्षण में ठहरने की व्यवस्था आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में की गई है। प्रशिक्षण का TA/DA जिला आई.डी.एस.पी. द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि :- 10:00 am से 05:30 pm

3/5

(नीतेश व्यास)

स्वास्थ्य आयुक्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 04-05-2019

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/245-251

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल, म.प्र.।
4. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.
5. अतिरिक्त संचालक, ट्रेनिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
6. सह प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, म.प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

प्रति,

डॉ.महेन्द्रपाल सिंह डाबर,
चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामनोद, जिला धार,
मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।

विषय:- डॉ.महेन्द्रपाल सिंह डाबर चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामनोद जिला धार, मध्यप्रदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम,16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ. महेन्द्रपाल सिंह डाबर, जिला धार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामनोद में चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश के पत्र कमांक./आई.डी.एस.पी./19/254/दिनांक 06.05.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार को आई.डी.एस. पी.कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामांकित मेडिकल आफिसर की सूची जिसमें आपका नाम सरल कमांक.10 पर अंकित है संलग्न करके प्रेषित किया जिसमें निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस. पी.के अंतर्गत Intregrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर. सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 एवं 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है जिसमें आई.डी.एस.पी.,राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे।

यह कि आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु उक्त पत्र दिनांक 6.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना संचालक,स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित होकर दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि व्यर्थ हुई तथा आपने संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम,1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त कृत्य करके अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

8/3/17

(नीतेश व्यास)

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 03/08/2019

पृ.कमांक.4/शिका./सेल. 3/एस.सी.एन./2019/2303
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम.अरेरा हिल्स, भोपाल, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को टीप दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.महेन्द्रपाल सिंह डाबर चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामनोद, जिला धार को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-धार, मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार, मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला धार, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

8/3/17

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्य प्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



भोपाल, दिनांक 06-05-2019

क्र./आई.डी.एस.पी./19/254

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जिला- आगर, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, धार, डिंडौरी, हरदा, इंदौर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, पन्ना, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, सीधी, सिंगरौली मध्यप्रदेश.


विषय:- आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिवसों में उपस्थित होंगे।

अतः आप अपने जिले से उक्त प्रशिक्षण के लिए नामांकित मेडिकल ऑफिसर को लेपटाप लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। प्रशिक्षण में ठहरने की व्यवस्था आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में की गई है। प्रशिक्षण का TA/DA जिला आई.डी.एस.पी. द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि :- 10:00 am से 05:30 pm

संलग्न :- नामांकित मेडिकल ऑफिसर की जानकारी।


(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 06-05-2019

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
3. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.
4. अतिरिक्त संचालक, ट्रेनिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
5. सह प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, म.प्र.।

संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019
मेडिकल ऑफिसर

S.No.	District	Medical Officer Name	Posting place
1	बैतूल	डॉ. आदित्य बघेल	सामु. स्वा. केन्द्र, घोड़ाडोंगरी, बैतूल
2	छिण्डीरी	डॉ. सुरेश मरावी	जिला अस्पताल, छिण्डीरी
3	इंदौर	डॉ. नवीन चंद्रवंशी	विकासखंड- देपालपुर, इंदौर
4	कटनी	डॉ. राजेश केवट	बी.एम.ओ. उमरीयापन, कटनी
5	मंदसौर	डॉ. दिनेश शर्मा	(एम.ओ.), ब्लाक-धुन्धहरका
6	पन्ना	डॉ. अजय चौधरी	चि.अधि. प्राथ.स्वा.केन्द्र, सलेहा, पन्ना
7	रतलाम	डॉ. पियूष मगरिया	मेडिकल ऑफिसर रावटी, बाजना, रतलाम
8	सतना	डॉ. तरुण कान्त त्रिपाठी	सामु. स्वा. केन्द्र, मझगांव, सतना
9	सीधी	डॉ.0 अमित सिंह	पीएचसी सुपेला (सीएचसी सिहावल), सीधी
✓10	धार	डॉ. महेन्द्रपाल सिंह डाबर	सामु. स्वा. केन्द्र, धामनोद, धार
11	छिन्दवाड़ा	डॉ. खेमकरण साहू	ब्लॉक - जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा
12	शाजापुर	डॉ. रविन्द्र गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल शुजालपुर, शाजापुर
13	झाबुआ	डॉ. मनीष सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी, प्रा. स्वा. केन्द्र बामानिया, झाबुआ
14	अनूपपुर	डॉ. चिन्मय पटेल	चिकित्सा अधिकारी, कोतमा
15	शिवनी	डॉ. राहुल ठाकुर	प्रा.स्वा.केन्द्र, गवारी
16	देवास	डॉ. जीवन यादव	प्रा.स्वा.केन्द्र, नेमावर
17	सिंगरौली	डॉ. आनंद गुप्ता	सामु. स्वा. केन्द्र, देवसर
18	सागर	डॉ. रोहित पंत	पी.एच.सी. बांदरी विकास, मॉलथौन
19	हरदा	डॉ. कमलेश गोड़	
20	आगर	डॉ. बृजेंद्र पाल सिंह परिहार	

क्रमांक.4/शिका./सेल.3/एस.सी.एन./2019/2300
प्रति,

भोपाल, दिनांक
02/08/2019

डॉ.कमलेश गोड़
चिकित्सा अधिकारी
जिला-हरदा, मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय:- अनुशासनात्मक कार्यवाही कारण बताओ नोटिस विरुद्ध :- डॉ.कमलेश गोड़, चिकित्सा अधिकारी जिला हरदा मध्यप्रदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओ नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ.कमलेश गोड़, जिला हरदा में चिकित्सा के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक./आई.डी.एस.पी./19/254/दिनांक 06.05.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा को आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामांकित मेडिकल आफिसर की सूची जिसमें आपका नाम सरल क्रमांक.19 पर अंकित है, संलग्न करके प्रेषित किया जिसमें निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस.पी.के अंतर्गत Integrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 एवं 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है जिसमें आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे।

यह कि आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु उक्त पत्र दिनांक 6.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपके द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित होकर दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि व्यर्थ हुई तथा आपने संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

81317
(नीतेश व्यास)
आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पू.कमांक.4/शिका./सेल. 3/एस.सी.एन./2019/2301
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

भोपाल, दिनांक 02/08/2019

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम.अरेरा हिल्स, भोपाल, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को टीप दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ. कमलेश गोड़ चिकित्सा अधिकारी, जिला हरदा मध्यप्रदेश को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-हरदा, मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला हरदा, मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला हरदा, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

81317
आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



क्र./आई.डी.एस.पी./19/254

भोपाल, दिनांक 06-05-2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- आगर, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, धार, डिंडौरी, हरदा, इंदौर,
झाबुआ, कटनी, मंदसौर, पन्ना, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, सीधी,
सिंगरौली मध्यप्रदेश.

विषय:- आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform
(IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health
Information Platform (IHIP) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन
अकादमी में दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने
हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली के अधिकारी उक्त
दिवसों में उपस्थित होंगे।

अतः आप अपने जिले से उक्त प्रशिक्षण के लिए नामांकित मेडिकल ऑफिसर
को लेपटाप लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे। प्रशिक्षण में ठहरने की
व्यवस्था आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में की गई है। प्रशिक्षण का TA/DA जिला
आई.डी.एस.पी. द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि :- 10:00 am से 05:30 pm

संलग्न :- नामांकित मेडिकल ऑफिसर की जानकारी।

(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 06-05-2019

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
3. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.
4. अतिरिक्त संचालक, ट्रेनिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
5. सह प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, म.प्र.।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019
मेडिकल ऑफिसर

S.No.	District	Medical Officer Name	Posting place
1	बैतूल	डॉ. आदित्य बघेल	सामु. स्वा. केन्द्र, घोड़ाडोंगरी, बैतूल
2	छिण्डीरी	डॉ. सुरेश मरावी	जिला अस्पताल, छिण्डीरी
3	इंदौर	डॉ. नवीन चंद्रवंशी	विकासखंड- देपालपुर, इंदौर
4	कटनी	डॉ. राजेश केवट	बी.एम.ओ. उमरीयापन, कटनी
5	मंदसौर	डॉ. दिनेश शर्मा	(एम.ओ.), ब्लॉक-धुन्धहरका
6	पन्ना	डॉ. अजय चौधरी	चि.अधि. प्राथ.स्वा.केन्द्र, सलेहा, पन्ना
7	रतलाम	डॉ. प्रियूष मगरिया	मेडिकल ऑफिसर रावटी, बाजना, रतलाम
8	सतना	डॉ. तरूण कान्त त्रिपाठी	सामु. स्वा. केन्द्र, मझगावां, सतना
9	सीधी	डॉ.0 अमित सिंह	पीएचसी सुपेला (सीएचसी सिहावल), सीधी
10	धार	डॉ. महेन्द्रपाल सिंह डाबर	सामु. स्वा. केन्द्र, धामनोद, धार
11	छिन्दवाड़ा	डॉ. खेमकरण साहू	ब्लॉक - जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा
12	शाजापुर	डॉ. रविन्द्र गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल शुजालपुर, शाजापुर
13	झाबुआ	डॉ. मनीष सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी, प्रा. स्वा. केन्द्र बामनिया, झाबुआ
14	अनूपपुर	डॉ. विनमय पटेल	चिकित्सा अधिकारी, कोतमा
15	शिवनी	डॉ. राहुल ठाकुर	प्रा.स्वा.केन्द्र, गवारी
16	देवास	डॉ. जीवन यादव	प्रा.स्वा.केन्द्र, नेमावर
17	सिंगरौली	डॉ. आनंद गुप्ता	सामु. स्वा. केन्द्र, देवसर
18	सागर	डॉ. रोहित पंत	पी.एच.सी. बांदरी विकास, मौलधौन
✓19	हरदा	डॉ. कमलेश गोड़	
20	अगर	डॉ. बृजेन्द्र पाल सिंह परिहार	

क्रमांक.4/शिका./सेल.3/एस.सी.एन./2019/2298

भोपाल, दिनांक 02/08/2019

प्रति,

डॉ. खेमकरण साहू,
चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर,
जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा,
मध्यप्रदेश।

द्वारा :- क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:- डॉ. खेमकरण साहू, चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 अंतर्गत कारण बताओं नोटिस।

00-00

यह कि आप डॉ. खेमकरण साहू, जिला छिन्दवाड़ा के जुन्नारदेव में चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ हैं।

संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक./आई.डी.एस.पी./19/254/दिनांक 06.05.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा को आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु नामांकित मेडिकल आफिसर की सूची जिसमें आपका नाम सरल क्रमांक.11 पर अंकित है, संलग्न करके प्रेषित किया जिसमें निर्देशित किया गया था कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information (IHIP) के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 एवं 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है जिसमें आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC) नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिनांक में उपस्थित होकर प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:30 बजे तक आपको प्रशिक्षण देंगे।

यह कि आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु उक्त पत्र दिनांक 6.5.2019 के माध्यम से आपको निर्देशित किये जाने के बावजूद भी आप दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुये न ही आपको द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने की कोई सूचना संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश को दी गई। इस प्रकार आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित होकर दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा व्यय की गई राशि व्यर्थ हुई तथा आपने संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर अपने कार्य प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं।

अतः आप यह सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध उक्त कृत्य हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित की जावें ? यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।

8/3/19

(नीतेश व्यास)

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 02/08/2019

पृ.कमांक.4/शिका./सेल. 3/एस.सी.एन./2019/2299
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में शाखा को प्राप्त निर्देशों के पालन में प्रेषित।
3. निज सहायक, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्थानीय कार्यालय।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम.अरेरा हिल्स, भोपाल, स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक, आई.डी.एस.पी. शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में आपके द्वारा शाखा को टीप दिनांक 27.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित डॉ.खेमकरण साहू, चिकित्सा अधिकारी सह ब्लॉक मेडिकल आफिसर जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध करावें तथा प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर भी समयावधि में संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
11. जिला कोषालय अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

8/3/19

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192



क्र./आई.डी.एस.पी./19/254

भोपाल, दिनांक 06-05-2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला- आगर, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, धार, डिंडौरी, हरदा, इंदौर,
झाबुआ, कटनी, मंदसौर, पन्ना, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, सीधी,
सिंगरौली मध्यप्रदेश.


विषय:- आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019 आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण देने हेतु आई.डी.एस.पी., राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC), नई दिल्ली के अधिकारी उक्त दिवसों में उपस्थित होंगे।

अतः आप अपने जिले से उक्त प्रशिक्षण के लिए नामांकित मेडिकल ऑफिसर को लेपटाप लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। प्रशिक्षण में ठहरने की व्यवस्था आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में की गई है। प्रशिक्षण का TA/DA जिला आई.डी.एस.पी. द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि :- 10:00 am से 05:30 pm

संलग्न :- नामांकित मेडिकल ऑफिसर की जानकारी।


(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 06-05-2019

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./19/
प्रतिलिपि:- सूचनाएँ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.
3. संचालक वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.
4. अतिरिक्त संचालक, ट्रेनिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
5. सह प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, म.प्र.।

संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

Integrated Health Information Platform (IHIP) प्रशिक्षण दिनांक 23.05.2019 से 24.05.2019
मेडिकल ऑफिसर

S.No.	District	Medical Officer Name	Posting place
1	बैतुल	डॉ. आदित्य बघेल	सामु. स्वा. केन्द्र, घोडाडोंगरी, बैतुल
2	छिण्डीसरी	डॉ. सुरेश मरावी	जिला अस्पताल, छिण्डीसरी
3	इंदौर	डॉ. नवीन चंद्रवंशी	विकासखंड- देपालपुर, इंदौर
4	कटनी	डॉ. राजेश केवट	बी.एम.ओ. उमरीयापन, कटनी
5	मंदसौर	डॉ. दिनेश शर्मा	(एम.ओ.), ब्लाक-धुन्धहरका
6	पन्ना	डॉ. अजय चौधरी	चि.अधि. प्राथम.स्वा.केन्द्र, सलेहा, पन्ना
7	रतलाम,	डॉ. पियूष मगरिया	मेडिकल ऑफिसर रावटी, बाजना, रतलाम
8	सतना	डॉ. तरुण कान्त त्रिपाठी	सामु. स्वा. केन्द्र, मझगावां, सतना
9	सीधी	डॉ.0 अमित सिंह	पीएचसी सुपेला (सीएचसी सिहावल), सीधी
10	धार	डॉ. महेन्द्रपाल सिंह डाबर	सामु. स्वा. केन्द्र, धामनोद, धार
11	छिन्दवाड़ा	डॉ. खेमकरण साहू	ब्लॉक - जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा
12	शाजापुर	डॉ. रविन्द्र गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल शुजालपुर, शाजापुर
13	झाबुआ	डॉ. मनीष सोलंकी	चिकित्सा अधिकारी, प्रा. स्वा. केन्द्र बामानिया, झाबुआ
14	अनूपपुर	डॉ. विनमय पटेल	चिकित्सा अधिकारी, कोतमा
15	शिवनी	डॉ. राहुल ठाकुर	प्रा.स्वा.केन्द्र, गवारी
16	देवास	डॉ. जीवन यादव	प्रा.स्वा.केन्द्र, नेमावर
17	सिंगरौली	डॉ. आनंद गुप्ता	सामु. स्वा. केन्द्र, देवसर
18	सागर	डॉ. रोहित पंत	पी.एच.सी. बांदरी विकास, मॉलथौन
19	हरदा	डॉ. कमलेश गोड	
20	आगर	डॉ. बृजेश पाल सिंह परिहार	